अनियमितताओं का नाम	ग्रस्त कर्मचारियों की संख्या	दिया गया दण्ड
2. अनियमित/जाली बिलों को पास करने में मदद की	17	बरखास्तगी।मूल वेतन में कटौती वेतन वृद्धि को रोकना, चेतावनी
3. लेखों में अनियमितता/झूठा एल.टी.सी./यात्रा भत्ता	15	–तदैव–
4. जाली दस्तावेज, सूचना को छिपाया गया	9	–तदैव–
5. कार्य में लापरवाही	15	–तदैव–
6. गैर-कानूनी रूप में कोयले की बिक्री	7	–तदैव–
7. गैर-कानूनी रूप में रिश्वत ली गई	5	–तदैव–
8. भण्डारण में गलत रूप में विस्फोटकों का रिकार्ड	3	सेवा से बर्खास्त
9. कोयला के स्टाक में कमी	2	चेतावनी दी गई
10. संपति का गैर आनुपातिक रूप में संग्रहण	1	सेवा से बर्खास्त
11. आयु का झूठा निर्धारण जिससे सेवानिवृत्ति को विलम्बित किया जा सके	4	पदावनति वेतन में कटौती, चेतावनी और निन्दा की गई
12. झूठा रोजगार/छदमवेश	5	सेवा से बर्खास्त
13. अनियमित रूप में पदोन्नति	4	चेतावनी
14. गैर-क्रानूनी रूप में नियुक्ति	5	पदावनति, वेतन वृद्धि दर रोकना तथा निन्दा की गई।

Power Project development by N.L.C through NRI contracts

4050. SHRI S. MADHAVAN: Will the Minister of COAL be pleased to state:

(a) whether the Neyveli Lignite Corporation has any proposal to set up a power project with a company pomoted by Non-resident Indians;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) what is the manner in which the lower generated will be distributed among the public and at what rate?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COAL (SHRI S. B. NYAMAGOUDA): (a) and (b) The Zero Unit Project (1x210 MW) of Neyveli Lignite Corporation was sanctioned by the Government in March, 1989 at a capital cost of Rs. 397.26 crs. This project was initially designed to be implemented by NLC Ltd. Owing to constraints of resources, this project has been transferred to M|s. ST Power System Inc. promoted by Mr. Sharad Tak, an NRI in USA. A Memorandum of Understanding (MOU) has been signed between NLC Ltd. and M|s. ST Power System Inc. on 31-8-1992.

(c) As per the provisions of the MOU signed, the company will negotiate separate agreements with the State Government for sale of power, for which purpose, it will be governed by the relevant provisions of the Tariff notification dated 31-3-1992 issued by Department of Power, Government of India.

मध्य प्रदेश के बेतूल और छिंदवाड़ा में सड़कों को सुदृढ़ और चौड़ा किया जाना

@4051. **श्री नारायण प्रसाद गुप्ता :** क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बैतूल और छिंदवाड़ा जिलों में कोयले की ढुलाई के लिए सड़कों को सुदृढ़ बनाने और उन्हें चौड़ी करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार से मार्च, 1985 और मई, 1986 में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई वित्तीय स्वीकृति दी है ; और

(ग) यदि नहीं, तो यह स्वीकृति कब तक दिए जाने का विचार है ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस. बी. नयमेगौड़ा) (क) से (ग) मई, 1982 में मध्य प्रदेश सरकार से सड़कों को सुदृढ़ीकृत और चौड़ा करने का 202.99 करोड़ रु. की अनुमानित लागत का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। संशोधित अनुमान मई, 1986 में प्राप्त हुए थे। राज्य सरकार को इस आशय की सूचना दी गई थी कि इस तथ्य को मद्दे नजर रखते हुए कि राज्य में सड़कों के निर्माण की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है और राज्य सरकारें आंतरिक स्रोतों से निधियां जुटाने के अलावा, सम्बद्ध राज्यों में उत्पादित होने वाले कोयले पर रायल्टी और अन्य शुल्क लगाकर वे बड़ी मात्रा में राजस्व प्राप्त करते हैं, अतः उन्हें स्वयं ही सड़कों के निर्माण हेतु, जिसमें कोयला क्षेत्रों में स्थित सड़कें भी शामिल हैं, निधि जुटाएं।

@पूर्वतः अतारांकित प्रश्न 2560, 9 दिसम्बर, 1992 से स्थानांतरित।

Illegal Construction on Cantonment Board Land

4052. SHRI GHUFRAN AZAM: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) what are the details of terms and conditions monthly rent, period of tenancy indicating therewith the date of last auction worked out by the Cantonment Board, Kanpur in respect of the premises at Mahatma Gandhi Park, Kanpur Cantonment;

(b) whether the structures of seven Malis Quarter adjacent to the park have been completely converted into a double storeyed building.

(c) whether it is a fact that the construction was not authorised within the rules of the Cantonment Act of 1924;

(d) if so, the details thereof; and

(e) what further action is proposed to be taken to check illegal constructionsltransaction on Government land?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI SHARAD PAWAR): (a) to (e) Mahatma Gandhi Park, covering an area of 5.814 acres, is situated on Survey No. 504 of Kanpur Cantonment and is Class 'C' land under the management of Kanpur Cantonment Board. Seven Mali Quarters (covering an area of 1194 Sq. ft.), located on the periphery of Mahatma Gandhi Park, were converted into a restaurant and were leased out by the Cantonment Board through public auction. The original lease was granted on 1-11-82, for 5 years, for running a restaurant at a monthly rental of Rs. 1000/-, with the approval of the GOC-in-C, Central Command, under Rule 8 of the Canton-